उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

संकल्प

विषयः—राज्य के निजी स्ववित्तपोषित तकनीकी संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी नीति का निर्धारण।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) का राष्ट्रीय औसत 23.6% है जबकि झारखण्ड के लिए यह केवल 13.4% है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में कुल 15 अभियंत्रण महाविद्यालय (जिनमे 01 राजकीय, 03 पी0पी0पी0 मोड के एवं 11 निजी संस्थान) एवं 31 डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान (जिनमे 13 राजकीय, 02 पी0पी0पी0 मोड के एवं 16 निजी संस्थान) संचालित है, फिर भी राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों की काफी कमी है। राष्ट्रीय औसत प्रति 7.7 लाख की जनसंख्या पर एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं प्रति 03 लाख की जनसंख्या पर 01 पोलिटेकनिक संस्थान है, जबकि राज्य में यह औसत 20 लाख की जनसंख्या पर एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 11 लाख की जनसंख्या पर 01 पोलिटेकनिक संस्थान है।

2) राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु राज्य में सरकारी तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में नये अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान खोलने तथा पूर्व से संचालित तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ कर उनमें सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निजी तकनीकी संस्थानों का सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। राज्य में नये निजी क्षेत्रों को अभियंत्रण महाविद्यालय तथा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान खोलने एवं पुराने संस्थानों को सुदृढ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी नीति के निर्धारण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित निर्णय निरूपित किये जाते हैः—

3) **(i) निजी/स्ववित्तपोषित क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के तहत इच्छुक संस्थान/ट्रस्ट/सोसाइटी को अनुदान के रूप में सरकारी दर पर भूमि आवंटित किया जाना —**

AICTE के अनुसार तकनीकी संस्थान खोलने हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत हैः—

Programe	Land Area requirement in Acres								
	UG Programs			Diploma			Stand alone Post Graduate Programs (MBA/ MCA)		
	Mega and Metro	Urban	Rural	Mega and Metro	Urban	Rural	Mega and Metro	Urban	Rural
Engineering and Technology	1.5	2.5	7.5	1.5	1.5	4.0			
HMCT	1.0	1.0	7.5	1.0	1.0	2.5			
MCA							0.5	0.5	1.5
Management							0.5	0.5	1.0

(II) निजी/स्ववित्तपोषित क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन के तहत इच्छुक संस्थान/ट्रस्ट/सोसाइटी जिनके पास निर्धारित भूमि उपलब्ध है, को आधारभूत संरचनाओं के विकास, छात्रावास निर्माण, नये एवं आधुनिकतम मशीन, उच्च कोटि के प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब एवं वाई–फाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में प्रथम बार में अभियंत्रण संस्थानों को अधिकतम 02 करोड़ (दो करोड़) रुपये तक एवं पोलिटेकनिक संस्थानों को अधिकतम 01 करोड़ (एक करोड़) रुपये तक सहायता अनुदान दिया जायेगा।

(III) पूर्व से संचालित तकनीकी संस्थानों में आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त आधारभूत संरचनाओं के साथ वैश्विक स्तर का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रबंधकीय कौशल का निर्माण/विस्तार, शिक्षक/कर्मी हेतु आवास, अतिरिक्त छात्रावास नये एवं आधुनिकतम मशीन, उच्च कोटि के प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, वाई–फाई का विस्तारीकरण एवं उन्हें Upgrade करने हेतु अभियंत्रण संस्थानों को अधिकतम 06 करोड़ (छः करोड़) रुपये तक एवं पोलिटेकनिक संस्थानों को अधिकतम 03 करोड़ (तीन करोड़) रुपये तक का सहायता अनुदान दिया जायेगा। कुल स्वीकृत अनुदानित सहायता राशि तीन बराबर किस्तों में निर्गत की जायेगी।

- यह कि दूसरी किस्त से पूर्व संस्थान को किसी दो विभाग के Course को NBA से Accreditation प्राप्त करना होगा तथा तीसरी किस्त से पूर्व उसे 04 विभाग के Course को NBA से Accreditation प्राप्त करना होगा।
- यह कि यदि उपरोक्त की कंडिका (II) के तहत किसी तकनीकी संस्थान को पूर्व में प्रथम बार में अभियंत्रण संस्थानों को अधिकतम 02 करोड़ रूपये तक एवं पोलिटेकनिक संस्थानों को अधिकतम 01 करोड़ रूपये तक सहायता अनुदान प्राप्त हो गया हो तब कंडिका (III) के तहत प्राप्त होने वाली अधिकतम सहायता अनुदान से उसे घटा दिया जायेगा। यानि कि अभियंत्रण संस्थानों को 04 करोड़ रूपये तथा पोलिटेकनिक संस्थानों को अधिकतम 02 करोड़ रूपये अनुदान प्राप्त होगा।

(IV) पूर्व से संचालित अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थानों को अनुदान प्राप्ति हेतु अर्हता एवं शर्ते निम्नवत हैं –

क. संस्थान का विगत 05 वर्षो का Audited Financial Statement उपलब्ध हो।

ख. संस्थान को विगत 05 वर्षो से लगातार AICTE के द्वारा मान्यता एवं State Board of Technical Education, Jharkhand/ सम्बंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हो।

ग. संस्थान का संचालन अधिसूचित प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता हो।

घ. संस्थान में AICTE के मापदण्डों के अनुसार नियमित प्राचार्य/निदेशक एवं शिक्षक हो।

(V) साथ ही, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को नामांकन प्रणाली के तहत् प्रत्येक वर्ष की अनुशंसित सूची में राज्य में लागू आरक्षण कोटा का पालन करना बाध्यकारी होगा। पाँच वर्षों के लिए छात्रों के कुल नामांकन का कम से कम 60% छात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय छात्रों से लिया जायेगा।

(VI) तकनीकी संस्थानों द्वारा संस्थान के संचालन के लिए गठित ***निदेशक मंडल (Board of Directors)*** में राज्य सरकार के द्वारा नामित/मनोनीत दो प्रतिनिधि (संबंधित जिला के उपायुक्त एवं उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के एक–एक प्रतिनिधि) को रखने की बाध्यता होगी।

(VII) तकनीकी संस्थान अपना अनुदान संबंधी प्रस्ताव उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को उपलब्ध करायेगी। प्राप्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित विभागीय समिति यथानीति सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय लेगीः–

(i)	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)	–	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय	–	सदस्य
(iii)	वित्त विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव / उप सचिव (उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)	–	सदस्य सचिव
(v)	निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी	–	सदस्य

(VIII) सहायता अनुदान की कोई राशि, जिसकी अंततः विहित उद्देश्य पर खर्च करने की आवश्यकता न हो, सरकार को यथावत लौटा दी जायेगी।

(IX) सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु तकनीकी संस्थानों द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों को पूर्ण करने के पश्चात अनुदान निर्गत किया जायेगाः–

(a) कंडिका 03(i) के तहत भूमि की कुल उपलब्धता (निबंधित डीड एवं म्यूटेशन की प्रति के साथ)

(b) संबंधित तकनीकी संस्थान को निबंधित कम्पनी / ट्रस्ट / सोसाईटी होना आवश्यक होगा।

(c) निबंधित कम्पनी / ट्रस्ट / सोसाईटी से संबंधित आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र।

(X) तकनीकी संस्थानों में छात्रों के नामांकन के पश्चात् शैक्षणिक कैलेण्डर, पठन–पाठन की व्यवस्था, मशीनों, उपकरणों, संरचनाओं आदि के रख–रखाव इत्यादि का उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा, इसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

4) उपरोक्त कंडिका में दर्ज सहायता अनुदान राशि निम्नवत् विकलनीय होगीः–

(क) मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–004–अनुसंधान–उपशीर्ष–A5 गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(ख) मुख्यशीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–A5 गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 21.02.2017 की बैठक के मद संख्या–34 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–03 / नीति–01 / 16त0शि0 518 / राँची, दिनांक– 27.02.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–03/नीति–01/16त0शि0 518 /रॉची, दिनांक :– 27.02.17
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 03/नीति–01/16त0शि0 518 /रॉची, दिनांक :– 27.02.17
प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 03/नीति–01/16त0शि0 518 /रॉची, दिनांक :– 27.02.17
प्रतिलिपिः–माननीया मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव उच्च/निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/विभाग के सभी पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/सभी प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/विभागीय Website प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव